"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जून 2012—आषाढ़ 1, शक 1934

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जून 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-292/सात-3/2011.—विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-6-292/सात-3/2011, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिवस के अवसान पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र. 149, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में, वर्तमान में कार्यरत कलेक्टर के माध्यम से कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

अनुसूची के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (5) की प्रविष्टि संख्या 1 में, शब्द "फिंगेश्वर" के स्थान पर, शब्द "राजिम" प्रतिस्थापित किया जाये.

Raipur, the 22nd June 2012

NOTIFICATION

No. F-6-292/Seven-3/2011.—The following draft of amendment in the departmental notification No. F-6-292/Seven-3/2011, dated 27th December, 2011, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 13 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours by the office of the Secretary, Department of Revenue and Disaster Management, Government of Chhattisgarh, Room No. 149, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur, through at present working Collector shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

In Schedule of the said notification,—

In entry number 1 of column (5) of serial number 4 of Schedule, for the word "Fingeshwar", the word "Rajim" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.